10.1 फीसदी बच्चों ने 2017-18 में असम में प्राथमिक स्कूल छोड़ दिए। लोकसभा में पेश किए गए आंकड़े के अनुसार, पूरे देश में प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने की सर्वाधिक दर असम में ही है। 8.1 फीसदी के साथ अरुणाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर है।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 7 फरवरी 2020

पुनर्विचार क्षेत्राधिकार पर सोमवार को फैसला करेगा सुप्रीम कोर्ट

सबरीमाला मामला ▶ नौ न्यायाधीशों की पीठ ने मामले पर बहस सुनकर फैसला किया सुरक्षित

12 फरवरी से कोर्ट मूल मामले में रोजाना सुनवाई शुरू करेगा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका पर विचार करते समय कानून के व्यापक सवालों को विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजा सकता है या नहीं, इस पर नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ सोमवार को फैसला सुनाएगी। गुरुवार को कोर्ट ने पुनर्विचार क्षेत्राधिकार के मुद्दे पर बहस सुनकर सोमवार तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। नौ सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता कर रहे प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार के क्षेत्राधिकार के कानूनी मुद्दे पर 10 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा और 12 फरवरी से कोर्ट मूल मामले में रोजाना सुनवाई शुरू करेगा।

यह मुद्दा विभिन्न धार्मिक स्थलों पर प्रवेश

सुप्रीम कोर्ट फाइल फोटो

में महिलाओं के साथ भेदभाव से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गत नवंबर में सबरीमाला मंदिर में हर आयुवर्ग की महिला को प्रवेश की इजाजत देने वाले फैसले के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए धार्मिक आधार पर महिलाओं से भेदभाव के सात व्यापक कानूनी प्रश्न विचार के लिए सात न्यायाधीशों बड़ी पीठ को भेजे थे। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे ने मामले को महत्वपूर्ण मानते हुए इस पर सुनवाई के लिए नौ न्यायाधीशों की पीठ गठित की थी जिसकी अगुआई वह स्वयं कर रहे हैं। जब कोर्ट व्यापक कानूनी मुद्दे पर सुनवाई करने और कानूनी सवाल तय करने के लिए बैठा तो कुछ पक्षकारों ने विभिन्न धर्मों में महिलाओं से भेदभाव के व्यापक कानूनी सवालों पर सुनवाई करने पर आपत्ति उठाई। उनका कहना था कि कोर्ट पहले सबरीमाला मामले में पुनर्विचार याचिका तय करे।

कोर्ट पुनर्विचार के क्षेत्राधिकार में बिल्कुल नए व्यापक कानूनी मुद्दे बड़ी पीठ को नहीं भेज सकता। उसे मुख्य मामले पर पहले विचार करना होगा। हालांकि कोर्ट ने कहा था कि वह फिलहाल सबरीमाला मामले में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई नहीं कर रहा है बल्कि पहले संविधान पीठ को विचार के लिए भेजे गए व्यापक कानूनी सवालों पर सुनवाई होगी। लेकिन पक्षकारों की आपत्तियां कायम रहीं तो कोर्ट ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार क्षेत्राधिकार पर ही सुनवाई करके यह कानूनी प्रश्न तय करने का निर्णय लिया था। गुरुवार को इस पर बहस में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोई भी तकनीकी कारण कोर्ट को पूर्ण न्याय करने से नहीं रोक सकता।

उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सबरीमाला मामले को विचार के लिए बड़ी पीठ को नहीं भेजा था बल्कि महिलाओं के साथ भेदभाव और धार्मिक परंपराओं से जुड़े कानूनी सवालों को विचार के लिए बड़ी पीठ को भेजा था। मेहता ने साथ ही समलैंगिकता के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि उस समय भी कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका के स्तर पर मामले में हस्तक्षेप किया था और फैसला दिया था। मेहता ने कहा कि कोर्ट को विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर न्यायिक व्यवस्था देने से कैसे रोका जा सकता है, यह कोर्ट का विशेषाधिकार है। दूसरी ओर, एक पक्षकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील फली एस. नरीमन ने मेहता की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिका का दायरा काफी सीमित होता है। उन्होंने अपनी दलीलों के समर्थन में कुछ पुराने फैसलों का उदाहरण भी दिया। उनके अलावा भी कई वकीलों ने विरोध किया।

सदन में ममता सरकार के साथ राज्यपाल के टकराव के आसार

जागरण संवाददाता, कोलकाता

- धनखड़ ने कहा-मुझे भी अपने विचार रखने का संवैधानिक अधिकार
- आज राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होगा विस का बजट सत्र

विधानसभा में आमतौर पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिलता है, लेकिन बंगाल विधानसभा में पहली दफा सरकार के साथ राज्यपाल का टकराव होने जा रहा है। बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार को राज्यपाल के अभिभाषण से होनी है। 10 फरवरी को राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा आम बजट पेश करेंगे। मगर गुरुवार को राज्यपाल ने साफ संकेत दिया कि वह सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण के दौरान अपनी बात भी सदन में रखेंगे, क्योंकि वह पांच दिन पहले तक राज्य की कानून व्यवस्था समेत कई अहम मुद्दों पर सरकार की आलोचना कर चुके हैं।

शांतिनिकेतन स्थित श्रीनिकेतन मेले का उद्घाटन करने पहुंचे राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जिस तरह राज्य सरकार का अधिकार है कि वह बजट सत्र का अभिभाषण तैयार कर अपनी नीतियों को चाहे जैसे दर्शाए, उसी तरह से राज्यपाल को भी संवैधानिक अधिकार है कि वह अपना मत विधानसभा के पटल पर व्यक्त कर सकें। उन्होंने कहा-'मेरे से पहले कई राज्यपालों ने विस में अभिभाषण दिया है, लेकिन उनमें से मैं पहला राज्यपाल हूं, जिसका जन्म आजाद भारत में हुआ है और कल विधानसभा में

जगदीप धनखड़ फाइल

ममता बनर्जी फाइल

नया इतिहास लिखा जाएगा।' ऐसे में संभव है कि केरल की तर्ज पर बंगाल के राज्यपाल का भी बयान सरकार से इतर हो सकता है।

सरकार पर लगाया किसानों को सुविधाओं से वंचित करने का आरोप : कार्यक्रम में पहुंचे राज्यपाल ने राज्य सरकार पर किसानों को केंद्र की सुविधाओं से वंचित करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे देश के 43 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद की है लेकिन बंगाल में 70 लाख किसान केंद्रीय मदद से वंचित हैं। इससे वह काफी दुखी हैं। विश्वभारती विश्वविद्यालय में भाजपा के राज्यसभा सदस्य स्वपन दासगुप्ता का छात्रों द्वारा घेराव किए जाने की घटना की ओर इशारा करते हुए धनखड़ ने कहा कि अगर किसी की विचारधारा अलग है तो वह शत्रु नहीं है। किसी का विरोध करना अलग बात है, लेकिन उसे लेकर अराजक परिस्थिति पैदा करना ठीक नहीं है।

डैमेज कंट्रोल करने पहुंचे थे सरकारी प्रतिनिधि : रविवार से ही लगातार तीन दिन सरकारी प्रतिनिधियों की ओर से राजभवन में हाजिरी लगाई गई। रविवार को संसदीय कार्य मंत्री एवं तृणमूल के महासचिव पार्थ चटर्जी, सोमवार को पार्थ चटर्जी के साथ वित्त मंत्री अमित मित्रा और मंगलवार को राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा राजभवन पहुंच डैमेज कंट्रोल करते दिखे थे। इस बार राज्यपाल को शांतिनिकेतन जाने के लिए गुरुवार को सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर भी मुहैया कराया गया।

विवाद बढ़ाने आए हैं राज्यपाल : चंद्रिमा : स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल लगातार जिस तरह से बयान देते हैं, उससे लगता है कि वह केवल विवाद बढ़ाने आए हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि बजट पेश होने से पहले केंद्रीय बजट राष्ट्रपति देखने को मांगे हों अथवा राज्यों का बजट किसी राज्यपाल ने देखना चाहा हो। बजट को वित्तमंत्री के अलावा अन्य मंत्री तक नहीं देखते हैं।'

पूर्वमंत्री अमर बाउरी के बंगले पर धमके मंत्री चंपई सोरेन के पुत्र

जागरण संवाददाता, रांची

- घर में शिफ्ट होने की बात कह दो हथियारबंद गार्ड सहित पांच लोग पहुंचे थे रांची स्थित बाउरी के आवास
- आवास के आंगन तक घूमे, अंदर घुसने से सुरक्षाकर्मियों व कुक ने रोका, कहा महिलाएं हैं अंदर नहीं जा सकते

राज्य सरकार के पूर्व मंत्री अमर बाउरी के आवास पर मंत्री चंपई सोरेन के पुत्र मंगलवार शाम हथियारबंद सुरक्षाकर्मियों और समर्थकों के साथ आ धमके। सुरक्षाकर्मियों के मना करने के बावजूद सभी आवासीय परिसर में घूमने लगे। वे बेडरूम की ओर भी जाना चाहते थे, लेकिन महिलाओं के रहने का हवाला देकर उन्हें रोका गया। पूर्व मंत्री के आवास में तैनात कमांडो सिक्यूरिटी एजेंसी के गार्ड संजीव कुमार सिंह और केयर टेकर अमित कुमार ने बताया कि एक कार से दो हथियारबंद निजी गार्ड सहित चार लोगों को लेकर एक युवक वहां पहुंचा। उसने खुद को मंत्री चंपई सोरेन का पुत्र बताया और कहा कि मंत्री जी यहां शिफ्ट करेंगे, इसी उद्देश्य से वे आवास देखने पहुंचे हैं। कार गेट के भीतर आवासीय परिसर में पहुंच गई।

कार रोकते ही मंत्री पुत्र व उनके समर्थकों ने सुरक्षाकर्मियों से कहा कि वे घर देखने आए हैं। यह कहते हुए सभी आगे बढ़ते चले गए। पूर्व मंत्री अमर बाउरी के नहीं रहने की बात उन्हें बताई गई। इसी बीच वे घर के पीछे के आंगन से होते हुए घर के अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। उन्हें सुरक्षाकर्मी व कुक ने यह कहकर रोका कि घर में महिलाएं हैं। इसके बाद चंपई सोरेन के बेटे अपने समर्थकों और सुरक्षाकर्मियों के साथ वहां से निकल गए।

एक घंटे पहले ही निकले थे अमर बाउरी : जिस समय मंत्री चंपई के बेटे अपने समर्थकों के साथ घर में घुसे थे उससे एक घंटे पहले ही अमर बाउरी अपने आवास से निकले थे। वे अपने विधानसभा क्षेत्र चंदनकियारी गए थे। बाउरी अभी वापस नहीं लौटे हैं। उन्हें फोन कर सूचना दी गई कि खुद को चंपई सोरेन का बेटा बताने वाले ने जबरन घर घुसकर देखना चाहा। गार्ड को इसके आगे की कोई जानकारी नहीं है।

पुलिस ने शिकायत मिलने से किया इन्कार : रांची पुलिस के पास इस मामले में कोई लिखित शिकायत नहीं पहुंची है। यह क्षेत्र लालपुर थाने के तहत आता है। थानेदार समेत डीएसपी सिटी व एसएसपी ने भी कहा है कि लिखित शिकायत आने के बाद ही वे कुछ बोलने की स्थिति में होंगे।

कर्नाटक में येदियुरप्पा ने भाजपा का दामन थामने वाले 10 विद्रोहियों को मंत्री बनाया

- कांग्रेस-जेडीएस से पाला बदलने वाले विधायकों को भाजपा ने किया पुरस्कृत
- येदियुरप्पा ने रविवार को 13 विधायकों को मंत्री बनाने का एलान किया था

बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस से पाला बदलकर राज्य में भाजपा का दामन थामने वाले 10 विधायकों को मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने मंत्री बना दिया है। इन विधायकों के दल बदलने से राज्य में कांग्रेस-जेडीएस की सरकार गिर गई थी और भाजपा के सत्ता में आने का रास्ता साफ हुआ था। गौरतलब है कि दिसंबर में हुए उप चुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी। राज्यपाल वजुभाई वाला ने गुरुवार को राजभवन में एक सादे समारोह में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

बता दें कि कर्नाटक के जिन 10 विधायकों को मंत्री बनाया गया है, उनमें एसटी सोमशेखर, रमेश जरकीहोली, आनंद सिंह, के सुधाकर, बैराठी बासवराज, ए शिवराम हेब्बार, बीसी पाटिल, के गोपालैया, केसी नारायण गौड़ा और श्रीमंत बाला साहेब पाटिल शामिल हैं। इस बहुप्रतीक्षित विस्तार के साथ ही मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या 28 हो गई है। छह स्थान अब भी रिक्त हैं। पिछले साल अगस्त में 17 विधायकों को मंत्री बनाया गया था।

उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल का दूसरा विस्तार राजनीतिक खींचतान से अछूता नहीं

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु स्थित राजभवन में मंत्रिपद की शपथ लेने वाले विधायकों के साथ (दाएं से चौथे) मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके दाईं तरफ राज्यपाल वजुभाई वाला। प्रेट्र

रहा। येदियुरप्पा ने रविवार को 13 विधायकों को मंत्री बनाने का एलान किया था। इनमें गुरुवार को मंत्री बनाए गए विधायकों के अलावा भाजपा के तीन और विधायकों को भी सरकार में शामिल किया जाना था। जिन तीन विधायकों को मंत्री बनाए जाने की चर्चा थी, उनमें उमेश कट्टी, अरविन लिंबावली और सीपी योगेश्वर शामिल हैं। लेकिन, बुधवार देर रात येदियुरप्पा ने बताया कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर इन तीनों विधायकों को मंत्री बनाने का काम स्थगित कर दिया गया है।

पवार के ट्रस्ट को उद्धव सरकार ने कौड़ियों के भाव दी जमीन

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- अपनी ही सरकार के दो विभागों की आपत्तियों को किया दरकिनार
- वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट को जालना में दिया 51 एकड़ का भूखंड

राकांपा अध्यक्ष शरद पवार की अध्यक्षता वाले एक ट्रस्ट को उद्धव सरकार ने करोड़ों की कीमत वाली 51 एकड़ जमीन कौड़ियों के मोल में आवंटित कर दी है। सरकार बनने के बाद ही उद्धव ने इस संस्थान का दौरा किया था।

उद्धव मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकार के ही दो विभागों की आपत्तियों को दरकिनार कर जालना स्थित 51 एकड़ का भूखंड वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट (वीएसआइ) को आवंटित करने का निर्णय किया। इस भूखंड की बाजार भाव पर कीमत करीब 10 करोड़ आंकी गई है। उद्धव सरकार ने 'विशेष मामला' बताते हुए यह आवंटन किया है। उसने राजस्व विभाग को कानून विभाग से सलाह कर इस आवंटन की शर्तें तय करने का निर्देश दिया है। इस ट्रस्ट में वर्तमान महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के और भी कई वरिष्ठ मंत्री सदस्य हैं। इनमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित राकांपा कोटे के मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, जयंत पाटिल एवं राजेश टोपे तथा कांग्रेस कोटे के मंत्री बालासाहब थोराट एवं सतेज पाटिल शामिल हैं। जालना स्थित यह भूखंड कृषि विभाग ने अधिगृहीत किया था। 1975 में बने वीएसआइ को यह भूखंड आवंटित करने का प्रस्ताव 2013 में तत्कालीन कांग्रेस-राकांपा गठबंधन सरकार के समय ही पेश किया गया था। 2014 में फड़नवीस सरकार आने के बाद यह भूखंड कृषि विभाग ने राजस्व विभाग को सौंप दिया था।

नवंबर, 2019 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में कांग्रेस-राकांपा-शिवसेना गठबंधन सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने वसंतदादा शुगर इंस्टीट्यूट का दौरा किया था। माना जाता है कि उसी दौरान ट्रस्ट ने उनसे यह भूखंड सस्ती दरों पर ट्रस्ट को सौंपने का आग्रह किया था। ट्रस्ट का कहना है कि उसके द्वारा इस भूखंड पर गन्ने की विभिन्न प्रजातियों पर शोध करके यहां तैयार गन्ना किसानों को दिए जाएंगे। हालांकि राज्य के महाधिवक्ता एवं वित्त विभाग की तरफ से इस भूखंड के आवंटन पर आपत्तियां दर्ज कराई गई थीं। लेकिन उद्धव सरकार ने 'विशेष मामला' बताते हुए इसे ट्रस्ट को आवंटित करने का निर्णय कर लिया है।

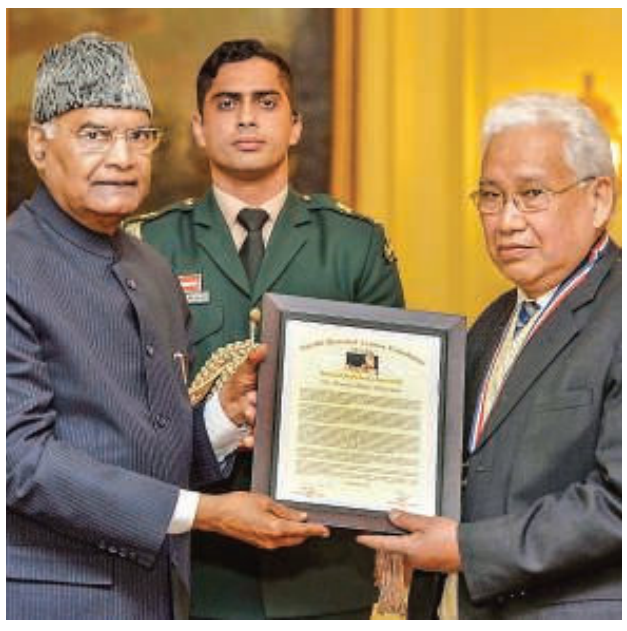

गांधी सम्मान

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में कुष्ठ रोगों के उन्मूलन की दिशा में किए गए कार्यों के लिए डॉ. एनएस धर्मशक्तु को अंतरराष्ट्रीय गांधी अवार्ड प्रदान किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि चिकित्सा स्थिति से अधिक इस बीमारी से सामाजिक अभिशाप का मामला ज्यादा जुड़ा है, जो चिंता का कारण है। प्रेट्र

मप्र में विस अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के स्वेच्छानुदान पर अलग नियम

राज्य ब्यूरो, भोपाल

- अभी नेता प्रतिपक्ष के लिए भी मंत्रियों के स्वेच्छानुदान के बने नियम ही होते हैं लागू

मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष को मिलने वाले सालाना स्वेच्छानुदान के उपयोग के नियम अब अलग होंगे। इसके लिए राज्य का संसदीय कार्य विभाग नियम बनाकर विधानसभा सचिवालय को देगा। अभी मंत्रियों के लिए बने नियम से ही काम चलाया जा रहा है। नए नियमों में विशेष मामलों में 50 हजार रुपए तक की सहायता का अधिकार रहेगा। विधानसभा सचिवालय ने संसदीय कार्य विभाग से विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के स्वेच्छानुदान के लिए अलग नियम बनाने को कहा है।

इसके मद्देनजर विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र भेजकर मौजूदा व्यवस्था की जानकारी मांगी है। बताया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का स्वेच्छानुदान बढ़ाने का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है। इसके मद्देनजर नए नियम बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों का कहना है कि सार्वजनिक काम, संस्था और व्यक्तिगत सहायता के लिए स्वेच्छानुदान दिया जा सकता है। नए प्रस्तावित नियमों में जनहित में पांच लाख रुपए तक निर्माण कार्य के लिए सहायता दी जा सकती है। एक साल में किसी एक मामले में 10 लाख रुपए से अधिक नहीं दिए जा सकते हैं। राजनीतिक और धार्मिक स्वरूप की संस्थाओं को अनुदान नहीं दिया जाएगा।

व्यक्तिगत मामलों में 25 हजार से ज्यादा की राशि स्वीकृत नहीं होगी, लेकिन अध्यक्ष को 50 हजार रुपए तक देने का अधिकार होगा। असाधारण सेवाओं के लिए पुरस्कार भी इस निधि से दिए जा सकते हैं, लेकिन व्यक्ति शासकीय सेवक नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष को यह अधिकार रहेगा कि वे किसी एक वर्ष में किसी भी एक मामले में अधिकतम पांच लाख और उपाध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष एक लाख रुपए सहायता कर सकेंगे। स्वेच्छानुदान के नियमों को शिथिल करने का अधिकार अध्यक्ष के पास रहेगा।

झाविमो से निकाले गए प्रदीप यादव, पार्टी के भाजपा में विलय का रास्ता साफ

राज्य ब्यूरो, रांची

- 11 फरवरी को पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक में भाजपा में विलय का फैसला संभावित
- विलय के रोड़े हुए दूर, विधायक बंधु तिर्की पहले ही हो चुके निष्कासित

झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) के भाजपा में विलय की राह में रोड़े अटका रहे विधायक प्रदीप यादव गुरुवार को पार्टी से निष्कासित कर दिए गए। झाविमो के प्रधान महासचिव अभय सिंह ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि प्रदीप यादव पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। उनसे इस बाबत स्पष्टीकरण मांगा गया था। तय समय सीमा 48 घंटे के भीतर उन्होंने स्पष्टीकरण नहीं नहीं दिया, लिहाजा उन्हें संगठन से निष्कासित कर दिया गया। झाविमो ने 11 फरवरी को केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। इसमें भाजपा में विलय का निर्णय लिया जा सकता है।

दरअसल प्रदीप यादव भाजपा में झाविमो के विलय का विरोध कर रहे थे। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से नई दिल्ली में विधायक बंधु तिर्की के साथ मुलाकात की थी। बंधु तिर्की पहले ही पार्टी से निकाले जा चुके हैं। इस बार विधानसभा चुनाव में

प्रदीप यादव। फाइल

झारखंड विकास मोर्चा के तीन विधायक चुने गए थे। दो विधायक पार्टी से निकाले जा चुके हैं। तीसरे विधायक खुद पार्टी सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी हैं।

निष्कासन को बताया बाबूलाल की ओछी हरकत : झाविमो से निष्कासित विधायक प्रदीप यादव गुरुवार को बाबूलाल मरांडी पर जमकर बरसे।

उन्होंने निष्कासन को ओछी हरकत बताते हुए कहा कि वे ऐसा कर के बच नहीं पाएंगे। वे आम लोगों को बाबूलाल मरांडी की असलियत बताएंगे। यह भी बताएंगे कि कैसे वे भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और अब वहीं जाने को उतावले हैं। प्रदीप यादव ने कहा कि बाबूलाल मरांडी की हरकतें गली-मोहल्ला टाइप नेताओं जैसी हैं। वे कहते थे कि कुतुबमीनार से कूद जाऊंगा, लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। वे अब उस कुतुबमीनार को ढूंढ रहे हैं, जिससे बाबूलाल मरांडी कूदने की बात करते थे। उनकी कथनी और करनी में भारी अंतर है। उन्हें जनता को जवाब देना होगा।

बंधु तिर्की बोले, हमारा कांग्रेस में जाना तय : मांडर के विधायक बंधु तिर्की का दावा है कि उनका कांग्रेस में जाना तय है। तिर्की पहले ही झाविमो से निकाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बाबूलाल को नई पार्टी भाजपा मुबारक हो। अब हमारी और उनकी राह जुदा है। वे जल्द ही एक बड़ी रैली कर कांग्रेस में शामिल होंगे।

बकाया

सूचना का अधिकार कानून के तहत पूछे गए सवाल के जवाब में एयरलाइन ने दी जानकारी

वीवीआइपी फ्लाइटों के लिए एयर इंडिया को वसूलने हैं 822 करोड़

नई दिल्ली, प्रेट्र : नकदी संकट के कारण विनिवेश के मुहाने पर खड़ी एयर इंडिया को अतिविशिष्ट लोगों (वीवीआइपी) की चार्टर फ्लाइटों के एवज में 822 करोड़ रुपये वसूलने हैं। एक आरटीआइ के जवाब में यह जानकारी उपलब्ध कराई गई।

सेवानिवृत्त कॉमोडोर लोकेश बत्रा को बुधवार को सूचना का अधिकार (आरटीआइ) कानून के तहत उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 30 नवंबर 2019 तक अतिविशिष्ट लोगों की चार्टर फ्लाइटों पर 822 करोड़ रुपये का बकाया था। कॉमोडोर बत्रा ने आरटीआइ के तहत वीवीआइपी चार्टर फ्लाइटों और विभिन्न सरकारी विभागों पर एयर इंडिया की बकाया राशि के बारे में नवीनतम जानकारी मांगी थी। वीवीआइपी चार्टर फ्लाइट के तहत एयर इंडिया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को विशेष विमान उपलब्ध कराती है। इनके बिलों का भुगतान मंत्रालयों की तरफ से किया जाता है। इसके अलावा राहत एवं बचाव कार्यों में विशेष विमानों के इस्तेमाल के लिए 9.67 करोड़ रुपये तथा विदेशी मेहमानों की फ्लाइटों के मद में 12.65 करोड़ रुपये बकाया हैं। एयर इंडिया ने उन एजेंसियों के नाम भी बताए हैं, जिनसे बकाये की वसूली की जानी है। इनमें सीबीआइ, प्रवर्तन निदेशालय, आयकर, खुफिया विभाग, सीआरपीएफ, डाक विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक शामिल हैं।

नागर विमानन मंत्रालय ने पांच दिसंबर 2019 को एक जवाब में बताया था कि एयर इंडिया 8,556.35 करोड़ रुपये (अस्थायी) के घाटे में है। एयरलाइन का कुल ऋण करीब 60 हजार करोड़ रुपये है। पांच फरवरी 2020 को मंत्रालय ने एयर इंडिया के घाटे के कारणों का उल्लेख करते हुए बताया था कि इसके पीछे उच्च ब्याज दर पर कर्ज, प्रतिस्पर्धा (खासकर कम कीमत वाले यात्रीवाहकों से), भारतीय रुपये के कमजोर होने के कारण विनिमय दर प्रभावित होना और उच्च परिचालन लागत बड़ी वजहें हैं।

सरकारी अधिकारियों की यात्रा पर भी 526.14 करोड़ रुपये का बकाया : सरकारी अधिकारियों की यात्रा पर भी एयर इंडिया की बड़ी राशि भुगतान के लिए लंबित है। सरकारी अधिकारियों द्वारा उधार लिए गए टिकटों के मद में एयरलाइन का 31 मार्च 2019 तक 526.14 करोड़ रुपये बकाया था। इनमें से 236 करोड़ रुपये से ज्यादा के बिलों का भुगतान तीन साल से भी अधिक समय से लंबित है।

विशाखा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें एयरलाइंस : डीजीसीए

नई दिल्ली, प्रेट्र : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सभी एयरलाइंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों (सीईओ) को विशाखा गाइडलाइन का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है। किसी भी संस्थान में यौन उत्पीड़न के मामलों से निपटने में यह गाइडलाइन उपयोगी है।

डीजीसीए ने सीईओ को बुधवार को भेजे गए पत्र में कहा है कि उसके पास विभिन्न एयरलाइंस में काम करने वाली पायलट, केबिन क्रू और अन्य तकनीकी क्षेत्र में काम करने वाली महिला सदस्यों की यौन उत्पीड़न संबंधी कई शिकायतें मिली हैं। उसने कहा, 'सभी एयरलाइंस को विशाखा गाइडलाइन के सख्ती से अनुपालन की सलाह दी जाती है। विमानन कंपनियों को इसके बारे में व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करना चाहिए, ताकि महिलाकर्मी यौन उत्पीड़न की शिकायतें बेहिचक कर सकें और उनका नियमसंगत निपटारा भी किया जा सके।'

विमानन नियामक ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा मामले में संस्थानों में यौन उत्पीड़न जैसी स्थितियों से निपटने के लिए व्यवस्था दी है। इसके तहत सभी संस्थानों में शिकायत समिति की स्थापना के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यौन उत्पीड़न के मामलों में दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई की जानी चाहिए।

बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 5600 करोड़ रुपये आवंटित

मुंबई, प्रेट्र : केंद्र सरकार ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 5600 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। वर्ष 2020-21 के लिए आवंटित इस फंड के साथ महाराष्ट्र सरकार को भी अपना हिस्सा देना है।

नेशनल हाईस्पीड रेल कारपोरेशन के सूत्रों ने बताया कि मुंबई-अहमदाबाद के बीच 500 किलोमीटर लंबी इस परियोजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2022 तक पूरा कराना चाहते हैं। उस वर्ष देश अपनी आजादी की 75वीं जयंती मना रहा होगा।

इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र और गुजरात को 5000 करोड़ का योगदान करना है। परियोजना में दोनों राज्यों की एक चौथाई हिस्सेदारी होगी। पश्चिम रेलवे की पिंक बुक के अनुसार दोनों राज्यों ने चालू वित्त वर्ष में 1000 करोड़ रुपये का योगदान किया था। इस बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए जापान इंटरनेशल कोआपरेशन एजेंसी (जायका)

प्रतीकात्मक

ने 1.10 लाख करोड़ का रियायती ऋण देने की पेशकश की है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने की मंशा जताई थी। हालांकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परियोजना को सफेद हाथी बताते हुए कहा था कि हम देखेंगे कि क्या इससे राज्य के औद्योगिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तभी कोई निर्णय लेंगे।